न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

विविध बैंक प्रकरण संख्या 49/2025(GCMS : 2025/62)

आवास फाईनेंसर्स लि., पंजीकृत कार्यालय 201–202 द्वितीय तल, साउथ एण्ड सकेव्यर मानसरोवर इण्डस्ट्रीयल ऐरिया, जयपुर व **स्थानीय शाखा कार्यालय** शॉप नं. 1 व 2 द्वितीय तल, शक्ति मार्ग, राजस्थान पत्रिका कार्यालय के पास, सूरतगढ़ रोड़, श्रीगंगानगर जरिये प्राधिकृत अधिकारी प्रेम सुथार पुत्र ओम प्रकाश

बनाम

1. **विनोद कुमार** पुत्र जगदीश निवासी वार्ड नं. 8, 14 एसजीआर, जिला श्रीगंगानगर (राज.)–335804 **द्वितीय पता** – पट्टा नं. 13, बुक नम्बर 297/ 2017, ग्राम लालपुरा उड़ान, ग्राम पंचायत सरदारपुरा बीका, तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)–335804, **तृतीय पता** पट्टा नं. 14, बुक नम्बर 297/2017, ग्राम लालपुरा उडान, ग्राम पंचायत सरदारपुरा बीका, तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)–335804
2. **ललिता मोयल** पत्नी विनोद कुमार निवासी 8, 14 एसजीआर, जिला श्रीगंगानगर (राज.)–335804
3. **जगदीश** पुत्र भंवरा राम निवासी 8, 14 एसजीआर, जिला श्रीगंगानगर(राज.) –335804
4. **विजय** पुत्र रणजीत निवासी वार्ड नम्बर 6, पीलीबंगा गांव 5 पीलीबंगा, हनुमानगढ़ जिला हनुमानगढ़ (राज.)–335803

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

<u>07.04.2025</u>

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक/कम्पनी के अधिवक्ता श्री विशाल आहुजा उपस्थित हुए। प्रार्थी बैंक/कम्पनी की ओर से प्रकरण को नॉट प्रैस किये जाने का प्रार्थना की। प्रार्थी आवास फाईनेस लि. ने अप्रार्थीगण विनोद कुमार, ललिता मोयल, जगदीश एवं विजय द्वारा बैंक के ऋण का भुगतान न किये जाने के कारण उनके द्वारा बैंक ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी राकेश कुमार एवं विनोद कुमार की **अचल सम्पत्ति क्रमशः पट्टा 13 बुक नं. 297/2017, ग्राम लालपुरा उड़ान, ग्राम पंचायत सरदारपुरा बीका, तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर –335804 एवं पट्टा नं. 14, बुक नं. 297/2017, ग्राम लालपुरा उड़ान, ग्राम पंचायत सरदारपुरा बीका, तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर –335804 का** भौतिक कब्जा प्राप्त करने के लिए धारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:51:25 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र दिनांक 05.02.2025 को प्रस्तुत कर रखा है और प्रार्थी बैंक ऋणी के विरूद्ध इस प्रकरण में किसी प्रकार की आगे कोई कार्रवाई नहीं चाहता है **अर्थात नॉट प्रैस करता है और अगर इस** प्रकरण में इसी स्टेज पर कार्यवाई समाप्त कर दी जाती है, तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

मैने, उक्त तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि दिनांक 05.02.2025 को एक प्रार्थना पत्र प्रार्थी आवास फाईनेंस लि. द्वारा धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण विनोद कुमार, ललिता मोयल, जगदीश एवं विजय के विरूद्ध पेश कर ऋण की सुरक्षा की एवज में राकेश कुमार एवं विनोद कुमार की **अचल सम्पत्ति क्रमशः पट्टा 13 बुक नं. 297/2017, ग्राम लालपुरा उड़ान, ग्राम पंचायत सरदारपुरा बीका, तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर —335804 एवं पट्टा नं. 14, बुक नं. 297/2017, ग्राम लालपुरा उड़ान, ग्राम पंचायत सरदारपुरा बीका, तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर —335804,** का भौतिक कब्जा दिलवाने के लिए प्रस्तुत किया था और अब चूंकि प्रार्थी बैंक इस प्रकरण में आगे किसी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं चाहते है अर्थात नॉट प्रैस करते है। इस आश्य का नोट प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता ने फर्दअहकाम के हाशिये पर अंकित किया है, जो पत्रावली में उपलब्ध है। इसलिए इस प्रकरण को इसी आधार पर खारिज करना उचित होगा।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी आवास फाईनेंस लि. द्वारा वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की **धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना खारिज किया जाता है।** आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक्मील दाखिल दफ्तर हो। पत्रावली बाद तरतीब तक्मील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 07.04.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:51:25 IST
Reason: SelfAttested

Manju
(डॉ. मन्जू)

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर